भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2198

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

मिजोरम में विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

†2198. श्री रिचर्ड वनलालहमंगइहा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मिजोरम में विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के स्थान, प्रकार और उत्पादन क्षमता (मेगावाट में) सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें केन्द्र सरकार की कितनी भागीदारी अथवा वित्तीय सहायता है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी धारा 73 के खंड (ख) में संदर्भित ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है तो इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, संचालन और रखरखाव कर सकती है।

विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित करने का कार्य करते हैं। वर्तमान में, विद्युत मंत्रालय के तहत सीपीएसयू द्वारा मिजोरम में विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
